# न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)
## पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

<u>एफ एस प्रकरण संख्या</u> 03 / 2024 (2024 / 28)

<u>प्रार्थी</u>

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।

**बनाम**

<u>अप्रार्थी</u>

1. हिमांशु गांधी पुत्र कन्हैयालाल गांधी, उम्र 22 वर्ष, फर्म मैसर्स श्री सूरज एग्रो इंडस्ट्रीज, सूरज नगर, घेवडा रोड़, ग्रा0 पो0 तिंवरी, जोधपुर। हाल निवासी म0 न0 8, चाणक्य नगर, लालसागर, जोधपुर। मूल निवासी गांव घेवड़ा, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

2. श्रीमती शोभादेवी गांधी पत्नी कन्हैयालाल, उम्र 47 वर्ष, (मालकिन), फर्म मैसर्स श्री सूरज एग्रो इंडस्ट्रीज सूरज नगर, घेवड़ा रोड़, ग्रा0 पो0 तिंवरी, जोधपुर। मूल निवासी जीयावतों का बास, घेवड़ा, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

–:<u>आदेश</u> :– दिनांक :– 05.04.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 26.05.2023 को सुरेश कुमार माली बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी गश्त चैंकिग फर्म मैसर्स श्री सूरज एग्रो इंडस्ट्रीज 44,45,64,65 सूरज नगर घेवड़ा रोड़, ग्रा0 पो0 तिंवरी, जोधपुर पर पहुंचा व अपना परिचय दिया, परिचय पत्र दिखाया। इस समय मसाला / पैकिंग इकाई परिसर पर एफबीओ की हैसियत से हिमांशु गांधी उपस्थित मिले तथा आम जनता उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर व अन्य खाद्य सामाग्री बेचने हेतु रखे हुए थे। उक्त खाद्य पदार्थ मालिक से वर्ष 2023 का खाद्य अनुज्ञा–पत्र मांगा, इन्होने एफएसएसएआई रजि0 12222999000387 एवं स्वयं का आधार कार्ड पेश किया। प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर परिसर में धनिया पाउडर (ब्रांड वी प्योर किंग) लगभग 150 किलोग्राम (500 ग्राम पैकिंग के 300 पैकेट्स) आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट / अमानक स्तर का शक होने पर इसकी जांच एफ एस एस एक्ट के तहत कराने के लिए रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को प्रपत्र एवं 5ए भरकर दिया। प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र पर मेरे, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर है। रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को रूपये 200 / – नगद देकर 2 किलोग्राम धनिया पाउडर (ब्रांड वी प्योर किंग) खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की। जिस पर मेरे, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर हैं, जिसकी असल प्रति सलंग्न है।

विक्रेता व गवाह के सामने उक्त धनिया पाउडर (ब्रांड वी प्योर किंग) को 500 ग्राम प्रति नमूना के हिसाब से नियमानुसार नमूनीकरण किया गया तथा इनके ऊपर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम–3602 खाद्य पदार्थ का विवरण एंव नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। मैंने [illegible] व विक्रेता ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल [illegible] अलग भूरे कागज से लपेटा

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.05.24 18:32:14 IST
Reason: SelfAttested

एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–3602 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी, जोधपुर के नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचें पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमूनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपडी की लगाई एक नमूनें के सिर पर एक पेदें पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रॉस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवायें तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे मे किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में मैने, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना एम–3602 सील चपडी किया उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही मैने स्वयं गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की, असल मौका फर्द सलंग्न है।

कार्यालय पंहुच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतिया तैयार की गयी जिन पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया एंव जिस सील से नमूना सिल्ड किया गया उसका सील इम्प्रेशन अंकित किया गया। फार्म नम्बर 6 की एक–एक प्रति प्रत्येक नमूना भाग के साथ रखकर नमूनो को पुनः आउटर कवर मे लपेट कर मोटे धागे से बांधकर नियमानुसार सिल चपडी से सिल्ड किया गया। फार्म नम्बर 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे मे रखकर सिल चपडी से सिल्ड किया एंव उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया उक्त एक सिल्ड नमूना एंव सिल्ड लिफाफा स्वयं के द्वारा दिनांक 29.05.2023 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की जो अलग–अलग असल सलंग्न है।

एम–3602 नमूने के द्वितीय, तृतीय भाग अभिहित अधिकारी जोधपुर को दिनांक 26.05.2023 को एंव चतुर्थ भाग दिनांक 26.05.2023 को जमा कराये गये जिनकी प्राप्ती रसीद दोनो अलग–अलग मूल सलंग्न हैं।

अभिहित अधिकारी जोधपुर के पत्र क्रमांक 841–842 दिनांक 16.06.2023 के साथ संलग्न खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर की मूल जांच रिपोर्ट एल. एस. 1513 / एक्ट / 2023 / 1553 दिनांक 06.06.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (ब्रांड वी प्योर किंग) का नमूना Total ash on dry basis. के निर्धारित मानक Not more than 7% by Weight के स्थान पर 7.23% होने के कारण अमानक स्तर (Sub Standard) होना पाया गया, अग्रेषण पत्र मय जांच रिर्पोटे सलंग्न है। अप्रार्थीगण द्वारा निर्धारित अवधि में पुनः जांच हेतु अपील प्रस्तुत की गई एवं निदेशक, रेफरल फूड लेबोरेटरी, पुणे की जांच रिपोर्ट सर्टिफिकेट संख्या RFL/P/DO-402/23/482/2023 दिनांक 23.08.2023 के अनुसार उक्त खाद्य धनिया पाउडर (ब्रांड वी प्योर किंग) Lable-Batch/Lot No:& Not Displayed होने के कारण Contravenes regulation No. 5.9 of the Food Safety Standards (Labelling and Display)

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.05.24 18:32:14 IST
Reason: SelfAttested

Regulation,2020 के तहत धारा 3(1)(zf)C(i) के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) होना पाया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी एवं अप्राथीगण दिनांक 28.03.2024 को स्वयं उपस्थित हुए। प्रकरण में उभयपक्ष की बहस दिनांक 28.03.2024 को सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 05.04.2024 को रखी गई।

प्रार्थी ने बहस में बतलाया कि अप्रार्थीगण के प्रतिष्ठान से धनिया पाउडर (ब्रांड वी प्योर किंग) का सैम्पल लिया गया जो अमानक स्तर (Sub Standard/Does not conform) होना पाया गया जो एफ.एस.एस. एक्ट की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन किया जो धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने योग्य अपराध है। अन्त में अप्रार्थीगण पर अधिकतम से अधिकतम जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

अप्रार्थीगण ने बहस में बतलाया कि प्रार्थी द्वारा धनिया पाउडर (ब्रांड वी प्योर किंग) का जो सैम्पल लिया गया उसकी प्रथम जांच रिपोर्ट में नमूना अमानक स्तर (Sub Standard) का आया लेकिन हमारे द्वारा पुनः जांच हेतु अपील प्रस्तुत की गई एवं निदेशक, रेफरल फूड लेबोरेटरी, पुणे की जांच रिपोर्ट सर्टिफिकेट संख्या RFL/P/DO-402/23/482/2023 दिनांक 23.08.2023 के अनुसार उक्त खाद्य धनिया पाउडर (ब्रांड वी प्योर किंग) Lable-Batch/Lot No:& Not Displayed होने के कारण Contravenes regulation No. 5.9 of the Food Safety & Standards (Labelling and Display) Regulation,2020 के तहत धारा 3(1)(zf)C(i) के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) होना पाया गया। अन्त में न्यूनतम जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

हमने प्रकरण में प्रार्थी विभागीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुख्या चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी जोधपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद का अध्ययन किया तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। इस प्रकरण में यह तथ्यात्मक स्थिति है कि अप्रार्थी की फर्म मैसर्स श्री सूरज एग्रो इंडस्ट्रीज 44,45,64,65 सूरज नगर घेवड़ा रोड़, ग्रा0 पो0 तिंवरी, से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जांच हेतु धनिया पाउडर (ब्रांड वी प्योर किंग) का सैम्पल लिया गया। उक्त सैम्पल की जांच रिपोर्ट एल. एस. 1513/एक्ट/2023/1553 दिनांक 06.06.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (ब्रांड वी प्योर किंग) का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अमानक स्तर (Sub Standard) होना पाया गया। अप्रार्थीगण द्वारा निर्धारित अवधि में पुनः जांच हेतु अपील प्रस्तुत की गई एवं निदेशक, रेफरल फूड लेबोरेटरी, पुणे की जांच रिपोर्ट सर्टिफिकेट संख्या RFL/P/DO-402/23/482/2023 दिनांक 23.08.2023 के अनुसार उक्त खाद्य धनिया पाउडर (ब्रांड वी प्योर किंग) Lable-Batch/Lot No:& Not Displayed होने के कारण Contravenes regulation No. 5.9 of the Food Safety & Standards (Labelling and Display) Regulation,2020 के तहत धारा 3(1)(zf)C(i) के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) होना पाया गया। अधिनियम की मंशा अनुरूप लोक स्वास्थय की सुरक्षा को सुनिश्चित करना इस न्यायालय का उद्देश्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.05.24 18:32:14 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण हिमांशु गांधी पुत्र कन्हैयालाल गांधी तथा श्रीमती शोभा देवी गांधी पत्नी कन्हैयालाल पर शास्ती रूपये 10,000 /– अक्षरे रूपये दस हजार रूपये की आरोपित की जाती है। अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि निर्णय के एक माह के अंदर–अंदर निर्धारित मद में जमा करवाकर रसीद प्रस्तुत करें।

आदेश आज दिनांक 05.04.2024 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

क्रमांकः कोर्ट / एडीएम / जोधपुर(ग्रामीण) / 2024 / दिनांक :–

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0, जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
3. हिमांशु गांधी पुत्र कन्हैयालाल गांधी, उम्र 22 वर्ष, फर्म मैसर्स श्री सूरज एग्रो इंडस्ट्रीज, सूरज नगर, घेवडा रोड़, ग्रा0 पो0 तिंवरी, जोधपुर। हाल निवासी म0 न0 8, चाणक्य नगर, लालसागर, जोधपुर। मूल निवासी गांव घेवड़ा, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।
4. श्रीमती शोभादेवी गांधी पत्नी कन्हैयालाल, उम्र 47 वर्ष, (मालकिन), फर्म मैसर्स श्री सूरज एग्रो इंडस्ट्रीज सूरज नगर, घेवड़ा रोड़, ग्रा0 पो0 तिंवरी, जोधपुर। मूल निवासी जीयावतों का बास, घेवड़ा, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.05.24 18:32:14 IST
Reason: SelfAttested